श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पात्रता और गणना सीमा मे वृद्धि करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

Declining Trade *Unionigm*

847. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state;

(a) whether according to a leading labour economist, Mr. Walter Galtn-Ron the of trade unionism, especially among the are cfouniries of Interodutions Labourrganisation.,risks deftbrnig the cherished Cases of tripirtion in-Volving worker mangment and the State for overall efficiency and productivity of the economy: and

(b) if so, What is Goerment re action thereto?

THE MINTSTER OF STATE OF THE "MINISTRY OF LABOUR (SHRT P. A. SANGMA}: (a) Yes, Sir.

(b) The V'"9WB expressed by Mr. Galenaan are based on a Dtiteti study en the decline in trade union

density during 1980—88 in. most industrialised countries, nootalvy "USA, UK France and Italy.

However, according to *firm.*, trade unions in the industrialised countries are by no means threatened with extinction and most of *them* are functioning statiacforily In fact some East Asian eoiuttries have seen an augmentation of unions strength and power. In Africa, too, the labour movement is getting more organised.

In India, there is as yet no evidence of any sharp decline in. trade union membership and the dynamics of collective bargaining and tripartism are Working satisfactorily

भविष्य निधि का भुगतान करने वाले संस्थानों के विरुद्ध मामले

348. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में उन संस्थानों और व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध पिछले दो वर्षों के दौरान भविष्य निधि का समय पर भुगतान न करने के कारण मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) उन फर्मों और व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके ऊपर दो लाख रुपये से भी अधिक की भविष्य निधि की राशि बकाया है ;

(ग) उन संस्थानों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके ऊपर इस समय दस लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है और जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया है, और

(घ) सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और इस के परिणामस्वरूप, पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी राशि भविष्य निधि में जमा कराई गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत दो वर्षों के दौरान बिहार में 11 प्रतिष्ठानों तथा 23 व्यक्तियों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि चूक संबंधी मामले पंजीकृत किये गये थे ।

(ख) बिहार में 5 प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनके पास 2 लाख रुपये से अधिक भविष्य निधि की राशि बकाया है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**) ।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 7क और 8ख के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की थी और परिणामस्वरूप गत दो वर्षों के दौरान बिहार में 188.27 लाख रुपये की धनराशि वसूल की गयी है ।